

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

The 6<sup>th</sup> October, 2006

**S.O. 100/H.A.6/2003/S 59/2006.** – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 13 /H.A.6/2003/S.59/2006, dated the 22<sup>nd</sup> September, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule C appended to the said Act, with effect from 1<sup>st</sup> October, 2006, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), in Schedule C, under columns 1 and 2,-

- (i) after serial number 43 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“43A	Industrial tools that is to say,- (a) power tools such as electric drills, tapping machines, hammers, sanders, planners, screw drivers, blowers, routers, winches, grinders, super abrasives floor, stone for sharpening carpenters’ instruments, tile polishing blocks and rubbing bricks; (b) measuring tools such as micrometers, vernier calipers, feeler gauges, height gauges, slip gauges, snap gauges, pressure gauges dial thermometers, water meter and measuring steel tapes; (c) hydraulic tools such as jacks, pipe benders, torque wrenches, breakers, cylinders and control valves; (d) pneumatic tools such as impact wrenches, rammers, grinders, drills torque wrenches, tilters, regulators and lubricant applicators; (e) hand tools such as spanners, pliers, screw drivers, hammers torque tools, cold chisels, drill bits and burrs, tool bits hack saws, hack saw blades and frames band saw rolls, dice die nuts, tools for carpentry, tools for masons and steel files;”;

- (ii) after serial number 98 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“98A	Wood and timber but not including Plywood, Plyboard, Medium Density Fibre Board, Particle Board, Hardboard, Veneer or Coated boards such as Sunmica, Formica and Laminated boards”;

L.S.M. SALINS,  
Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 6 अक्टूबर, 2006

संख्या का0आ0 100/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2006.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 ( 2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 13/ह0अ06/2003/धा059/2006, दिनांक 22 सितम्बर, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग में प्रथम अक्टूबर, 2006 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में खाना 1 तथा 2 के नीचे,—

- (i) क्रम संख्या 43 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2
“43क	औद्योगिक औजार जैसे कि,—
	(क) पावर औजार जैसे इलैक्ट्रिक ड्रीलस्, टैपिंग मशीनें, हथौड़े, सैंडरस्, प्लानरस्, पेचकश, ब्लोयरस्, राऊटरस्, विंचिस्, ग्राईंडरस्, सुपर एबैरसिव फ्लौर, बढईयों के यन्त्रों को तीखा करने वाला पत्थर, टाईलों को पालिश करने वाले ब्लाकस तथा रबिंग ब्रीकस;
	(ख) नापने वाले औजार जैसे माईक्रोमीटर, वर्नियर, कलिपरस, फिल्लर गेजिस, हार्ट गेजिज, स्लीप गेजिज, स्नैप गेजिज, प्रेशर गेजिज डायल थर्मोमीटरस्, पानी के मीटर तथा नापने वाली स्टील टेपस्;
	(ग) हाईड्रोलिक औजार जैसे जैकस, पाईप बेंडरस्, तौरक्यू रैन्चीज, ब्रेकरस्, सिलेंडरस् तथा कन्ट्रोल वैल्वस; ,
	(घ) न्यूमैटिक, औजार जैसे इम्पैक्ट रैन्चिज, रैमरस्, ग्राईंडरस्, ड्रील तौरक्यू रैन्चिज, टिलरस्, रैगूलेटरस् तथा लूबरिकेन्ट एप्लीकेटरस्;
	(ड.) हाथ के औजार जैसे स्पैनरस्, पिलरस्, पेचकश, हथौड़े, तौरक्यू औजार, कोल्ड चिसल्स, ड्रील बिट्स तथा बररस्, टूल बिटस्, हैक सॉस, हैक सॉ ब्लेड तथा फ्रेमस्, बैंड सॉ रोल्स् डाईस डाई नटस्, बढईयों के औजार, मेसनस के औजार तथा स्टील फाईलस।”;

- (ii) क्रम संख्या 98 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1

2

---

“98क लकड़ी तथा इमारती लकड़ी किन्तु इसमें प्लाईवूड, प्लाईबोर्ड, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड, पारटिकल बोर्ड, हार्डबोर्ड, विनिर या कोटिड बोर्ड जैसे सनमाईका, फोरमाईका तथा लैमिनेटिड बोर्ड शामिल नहीं हैं।”।

एल.एस.एम. सालिन्स,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।